राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :– एफ. 3(ख) (2217/13)/ अलेसे–I I/2550 दिनांक :–20.11.18.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री गुरू दयाल मौर्य (लिंक न0. 12133) कार्यालय आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज विभाग, जयपुर कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत है एवं जिनकी जन्म तिथि 24.08.1994 है, को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2018 के क्रम में दिनांक 15.12.2018 से 20.12.2018 की अवधि में थाईलैंड जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :–

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगें।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर/फैक्स नम्बर आदि सूचित करेगें।
3. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा ग्रहण नहीं करेगें।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीय भंग नहीं करेगें।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगें।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा/के माध्यम से कोई व्यय/ विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगें।
10. पासपोर्ट की सत्यापित प्रति इस विभाग को प्रस्तुत करेगें।
11. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।

यह स्वीकृति 15.12.2018 से 20.12.2018 की अवधि के लिये मान्य होगी ।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ. 3(ख) (2217/13)/ अलेसे–I I/2550 दिनांक :–20.11.18.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. श्री गुरू दयाल मौर्य, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा।
4. अतिरिक्त निजि सचिव, निदेशक महोदया।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\seema ji\Order.docx